न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री पूजा कुमारी पार्थ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 19/2015

उनवान

श्रीसरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी।

—: प्रार्थी

बनाम

पंकज पिता डायालाल पाटीदार निवासी अरथुना तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 1955 राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 84, 86

आदेश

दिनांकः 5/6/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीसरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी ने पटवार हल्का अरथुना के मौजा अरथुना की सर्वे नम्बर 2304 रकबा 0.08 हे0 किस्म—भूसाधर श्री लालजी पिता अखेराज पटले निवासी लोकिया के नाम दर्ज है। उक्त भूमि के उत्तरी तरफ श्रीमति नवल बेवा बकोर भील की कृषि भूमि स्थित है। उक्त आरक्षित दर्ज रेकार्ड भूमि में स्थित आम के पेड़ नंग 01 को अप्रार्थी ने बिना अनुमति के कांट दिया हैं। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84, 86 का उलंघन किया गया है। उक्त कांटे गये आम के पेड़ की लकड़ी श्री चन्द्रवीरसिंह पिता धुलसिंह हजूरी निवासी अरथुना को सुपुर्दगी में दी गई है। अप्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृति के उक्त आम के पेड़ कांटे जाने के कम में पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया मौका पर्चा/लकड़ी सुपुर्दगीनामा एंव राजस्व दस्तावेज की नकल आदि प्रार्थना—पत्र के संलग्न प्रस्तुत करतें हुऐ प्रार्थी को इमदाद दिलाने निवेदन किया।

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी किया गया। तथा अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर उक्त पेड़ के सुख जाने एंव हवा के कारण गिर जाने एंव जन धन की हानि होने से लकड़ी स्वंय के द्वारा हटाना स्वीकार किया।

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र, पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया मौका पर्चा/लकड़ी सुपुर्दगीनामा एंव राजस्व अभिलेख की नकल का अवलोकन किया जाने पर पाया गया कि अप्रार्थी श्री पंकज पिता डायालाल पाटीदार निवासी अरथुना तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा द्वारा श्री लालजी पिता अखेराज पटले निवासी लोकिया की भूमि में स्थित उक्त आम के पेड़ नंग 01 को काटं कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84, 86 का उल्लघंन किया गया है। इस कम में न्यायालय के पत्रांकः 850 दिनांक 22.5.17 द्वारा मौका पर्चा में वर्णित राशि वसूल की जाकर राज कोष में जमा कराने निर्देशित किया जाने के उपरान्त भी पालना रिपोर्ट प्रस्तुत नही हुई है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को श्री लालजी पिता अखेराज पटले निवासी लोकिया की भूमि में स्थित आम के पेड़ नंग 01 को कांटने एंव बिना अनुमति के हटाने के फलस्वरूप प्रति पेड़ 100/— रूपयें के दण्ड से दण्डित किया जाता हैं। तथा प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी को आदेशित किया जाता हैं कि जुर्माना राशि की तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कायमी कराते हुऐ मौका पर्चा में वर्णित अनुसार रू0 10,000/— (अक्षरे रूपये दस हजार) में सम्बन्धित भू—अभि0 निरीक्षक एंव पटवारी के माध्यम से निलामी कराई जाकर जुर्माना एंव लकड़ी निलामी की राशि राज कोष में जमा करातें हुऐ पालना रिपोर्ट इस न्यायालय